

**आज्ञा**

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.03.2019 की अभिशंषा-अनुसार निम्नांकित सहायक निदेशकों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध उप निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए निम्नानुसार पदस्थापन एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम	वर्ग	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक	नवीन पदनाम एवं पदस्थापन स्थान
01.	डॉ० अजय शर्मा	सामान्य	2016-17	01.04.2016	उप निदेशक (घटनास्थल), मुख्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर
02.	श्री रमाकान्त मिश्रा	सामान्य	2017-18	01.04.2017	उप निदेशक (अपग्रेड), मुख्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर
03.	डॉ० राखी खन्ना	सामान्य	2017-18	25.04.2017	उप निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर
04.	डॉ० परमजीत सिंह	सामान्य	2017-18	01.11.2017	उप निदेशक (अपग्रेड), मुख्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर
05.	डॉ० संजय शर्मा	सामान्य (अ.जा. वर्ग की रिक्ति के विरुद्ध)	2018-19	01.04.20	उप निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर।

यह पदोन्नति/पदस्थापन आदेश लोकसभा आम चुनाव, 2019 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)(1)/निर्वा/2019/5115, दिनांक 25.04.2019 के द्वारा प्रदत्त अन्नापत्ति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

Sd.

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस


-- -2

(2)

क्रमांक:-प. 3(17)गृह-1/2017

**प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति० मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, पुलिस